एन० टी० सी० (गुजरात) के अंतर्गत मिलों में मूल मशीनरी 40 वर्षों से भी अधिक पुरानी होगी।

31 मार्च, 1987 तक की स्थिति अनुसार एन टी सी (गुजरात) के अधीन मिलों के आधुनिकीकरण नवीकरण पर लगभग 37.30 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई। मिल-वार विवरण निम्नोक्त है :-

मिल का नाम	व्यय की गई राशि (लाख रु० में)
1. अहमदाबाद जूपिटर	369.71
2. अहमदाबाद न्यु टेक्सटाईल्स	452.83
3. हिमाद्री टैक्सटाईल्स	298.23
4. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स	490.15
5. न्यु सानरचौक	358.20
6. राजनगर मिल्स नं० 1	642.87
7. नागनगर मिल्स नं० 2	
8. महालक्ष्मी टैक्सटाईल्स	393.68
9. पेटलाड टैक्सटाईल्स	317.66
10. राजकोट टैक्सटाईल्स	182.59
11. वीरमगांव टैक्सटाईल्स	233.89
12. फाइन स्पिनिंग मिल्स (इसमें उत्पादन नहीं हो रहा है)	..

(ग) अभी तक किसी भी एन० टी० सी० मिल को बंद करने का कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) राज्य-वार एन० टी० सी० मिलों के आधुनिकीकरण/नवीकरण पर व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह राशि अधिग्रहण करने/राष्ट्रीयकरण की अवधि से मार्च, 1987 के अन्त तक चरणबद्ध तरीके से व्यय की गई।

राज्य सभा में दिनांक 28-7-1987 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 158 के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

31-3-1987 तक राज्य-वार एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण/ नवीकरण पर व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	व्यय की गई राशि (लाख रु० में)
1	उत्तर प्रदेश	2292.08
2	मध्य प्रदेश	2972.75
3	महाराष्ट्र (एन टी सी (एस एम) लि०)	4512.44
4	महाराष्ट्र (एन टी सी (एम एन) लि०)	4229.30
5	एन टी सी (गुजरात)	3739.81
6	दिल्ली	166.53
7	पंजाब	1403.59
8	राजस्थान	913.07
9	तमिलनाडु	5462.45
10	पाण्डिचेरी	572.05
11	आन्ध्र प्रदेश	1499.88
12	कर्नाटक	1900.26
13	केरल	1670.97
14	माहे	164.93
15	प० बंगाल	2421.40
16	बिहार	289.76
17	असम	174.82
18	उड़ीसा	297.57

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के तकनीशियन तथा अधिकारी-कर्मचारी यूनियन की ओर से अभ्यावेदन

159. **श्री मीर्जा इर्शाद बेग :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में गुजरात की राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की तकनीशियन तथा अधिकारी-कर्मचारी यूनियन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्रत्येक मामले पर

क्या निर्णय लिया गया, यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है अथवा यूनियन की मांगों को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। एन टी सी मिलों के तकनीशियन तथा अधिकारी-कर्मचारी यूनियन (गुजरात) से दिनांक 1 जुलाई, 1987 के दो पत्र प्राप्त हुए। इन दो पत्रों में उल्लिखित प्रमुख मुद्दे नीचे दिए गए हैं :—

(1) एक अनुषंगी निगम के नियमों और एन टी सी के अन्य अनुषंगी निगमों के बीच एक समान नीति की आवश्यकता,

(2) तकनीशियनों तथा अधिकारियों के संबंध में 60+1+1 वर्ष की आयु को कम करके 58 वर्ष करने पर पुनः विचार किया जाए,

(3) एन टी सी (गुजरात) के निदेशक मण्डल की बैठकों में भाग लेने के लिए एन टी सी मिलों के तकनीशियन तथा अधिकारी कर्मचारी यूनियन के दो पदाधिकारियों को अनुमति देना,

(4) प्रबन्ध परिषदों के एकक स्तर पर वर्तमान सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए तकनीशियनों/अधिकारियों में से एक व्यक्ति को अनुमति देना ।

एन टी सी (गुजरात) द्वारा इन मामलों पर निर्णय सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि सेवा निवृत्ति आयु का मुख्य मुद्दा उच्च न्यायालय में न्याय निर्णयाधीन है।

हज तीर्थयात्रियों को सुविधाएं

160. **श्री मीर्जा इर्शाद बेग** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राज्य-वार कितने लोगों ने हज तीर्थयात्रा पर जाने के लिए अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन किया है और राज्य-वार इसमें से कितने लोगों को अनुमति दी गई है ;

(ख) हज यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने के मामले में हज समिति तथा अन्यों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या निर्णय लिया गया है और वे सुविधाएं कब तक दे दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या हज यात्रियों के कोटे में वृद्धि करने की कोई मांग की गई और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुअर्डो फलेरियो) : (क) आशा है कि हज यात्रियों का आखिरी दल 31 जुलाई, 1987 के आसपास रवाना हो जाएगा । अपेक्षित सूचना तभी उपलब्ध हो सकेगी जबकि सभी हज यात्री सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएं ।

(ख) संलग्न विवरण में यह सूचना दी गई है। [**देखिये** परिशिष्ट 143, अनुषंग संख्या 2]

(ग) हज यात्रियों का कोटा बढ़ाने की मांग सरकार को प्राप्त हुई है लेकिन सरकार के लिए इन्हें स्वीकार करना संभव नहीं हो सकता है ।

Sub-regional wildlife preservation Office in Andhra Pradesh

161. SHRI GOPALA RAO RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up a Sub-Regional Wildlife Preservation Office in Andhra Pradesh; and

(b) if so, what are the details of the proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) No, Sir.